अपील सूचना अधिकार संख्या 84/2019 (RCMS 2019/00230) श्री अनूप कुमार निवासी चक 9 एलएम (ए)· पोस्ट एलएम(बी) तहसील अनूपगढ पिन–335703 (मो. 95883–68929) बनाम तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ

13.11.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अनूप कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलादार, अनूपगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री अनूप कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.06.2019 के द्वारा तहसीलदार, अनूपगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही थी, मूल प्रार्थना पत्र अपीलार्थी ने पत्रावली में शामिल नहीं किया है अपील में अंकितानुसार प्रार्थी ने निम्न सूचना चाही थी:

> तहसीलदार, अनूपगढ के समक्ष 19.06.2019 को अपनी भूमि की पैमाइश हेतु आवेदन शुल्क जमा करवाया गया था तथा दो महीने 16.08.2019 तक पेमाइश नहीं होने तथा बार बार तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर पेमाइश हेतु कहा गया परन्तु पेमाइश नही की गई।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में तहसीलदार, अनूपगढ ने अपने पत्रांक भू.अ/2019 से अपील पत्र का निम्नानुसार जवाब दिया है :

> उक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी के अपील –पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

बिन्दु संख्या 1:— अपीलार्थी के सीमाज्ञान के आवेदन पत्र दिनांक 19.06.2109 को इस कार्यालय के सीमाज्ञान के रजिस्टर के क्रमांक 52 पर दर्ज कर दिनांक 19.06.2019 को पटवारी हल्का को भेजा गया। चूंकि उक्त आवेदन पत्र में वर्णित चक 9 एलएम—बी का पत्थर नं. 286/477 की 6 बीघा भूमि का विवाद था, इस कारण सीमाज्ञान के लिए इस कार्यालय के आदेश संख्या भू.अ./2019/1419—22 दिनांक 19.06.2109 के द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, भू.अ. निरीक्षक वृत्त लूणिया के नेतृत्व में कमेटी का गठन कर सीमाज्ञान हेतु आदेशित किया गया। (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न है)। श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, भू.अ. निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न है) कि कमेटी द्वारा दिनांक 19.06.2019 की पालना में दिनांक 01.07.2019 को मौका पर गये मौका पर नजदीक कोई पत्थरगढी ना होने कारण प्रार्थी की पलाना उक्त सीमाज्ञान से प्रार्थी (अपीलार्थी) सहमत नहीं हुआ, तो टीम मौका से लौट आई। उसके उपरान्त दिनांक 06.07.2019 को पुनः मौका पर सीमाज्ञान करने के लिए पहुंची मौकापर प्रार्थी उपस्थित नहीं मिला। इसलिए सीमाज्ञान नहीं करवाया जा सका। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि उक्त रकबा डिफरेन्स—लाईन का है जो कि पुरानी गंगकैनाल सर्वे का है। अपीलार्थी उक्त रकबा के पश्चिम दिशा में स्थित ब्लॉक—सर्वे के दूर स्थित पत्थरगढी से सीमाज्ञान करवाने की मांग कर रहा है। ब्लॉक—सर्वे व लाईन सर्वे की मुरब्बा लाईन में परस्पर अन्तर है एवं ब्लॉक पत्थर की तरफ मौका पर फसल काश्त है। उक्त कारणों के दृष्टिगत मौका जिस प्रकार से कमेटी ने सीमाज्ञान करवाया है उससे अपीलार्थी सहमत नहीं है और जिस प्रकार से अपीलार्थी सीमाज्ञान करवाना चाहता है वह

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

काफी कष्टसाध्य होने के कारण. तत्समय किया जाना संभव नहीं था। इस प्रकार से अपीलार्थी को सीमाज्ञान करवा दिया गया है परन्तु जिस प्रकार से सीमाज्ञान करवाया गया है उससे सहमत नहीं है।

बिन्दु संख्या 2:— बिन्दु संख्या 2 में अपीलार्थी ने लिखा है कि उसके आर.टी.आई. के आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2019 द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय द्वारा नहीं दी गई है। अपीलार्थी का यह कथन सही नहीं है। क्योंकि प्रार्थी का आरटीआई आवेदन पत्र जो कि दिनांक 21.08.2019 का है, इस कार्यालय को दिनांक 26.08.2019 को मिला था और उसमें लिखित सूचनाएं इस कार्यालय द्वारा निश्चित समयावधि के भीतर प्रार्थी को इस कार्यलय के पत्रांक भू.अ./2019/4266 दिनांक 16.08.2019 को उपलब्ध करवा दी थी, अपीलार्थी अनूप कुमार ने प्राप्ति के हस्ताक्षर भी कार्यालय प्रति पर किये हुए है। (सुलभ संदर्भ हेतु पत्रांक 4266 दिनांक 16.08.2019 की प्रति संलग्न है।)

अतः अपीलार्थी के अपील —पत्र पर बिंदुवार प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील दाखित दफ्तर करने की कृपा करें।

-sd-
तहसीलदार (भू.अ.)
अनूपगढ (राज.)

चूंकि अपीलार्थी ने अपील के साथ सूचना का अधिकार की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति पेश नहीं की है और अपील पत्र के अनुसार प्रार्थी अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान चाहा है, जो उसके अनुसार नहीं हुआ है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है** जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना** अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ द्वारा प्रार्थी को जो जवाब दिया है वह सही है **उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के अनुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर